

$$\begin{array}{r} 1582. \\ \hline B \\ \hline 75.5.25. \end{array}$$

नोट	<p>योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है । ग्राम स्वामिनेन लक्ष्मी - स्वामिन 3552, 3554, 3561, 3568, 3570 का खसरा सुपर इम्पोज किया गया जो एमिन जोन-04 पर है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कारनर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है। 2. आवेदित भूमि को 90वीं की कार्यवाही दिनांक 29.08.2007 को हो चुकी है। आवेदित भूमि का एल.पी.सी. दिनांक 16.01.2025 को जारी किया गया। जिसका योजना के रूप में उपविभाजन अनुमोदन बी.पी.सी. की 383 वीं बैक दिनांक 29.01.2025 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है। 3. योजना की भूमि में सुपर इम्पोज अतिक्रमण की धारा 90 की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण सहसिलवर द्वारा किया गया है। 4. टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एजेंडा में आवेक द्वारा भूखण्ड संख्या 28, 29, 30, 31, 42 कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 1565.30 वर्गमीटर है, को जमिनी में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने या विकास शुल्क जमा करारक अधिवास प्रमाण प्राप्त करारक पर ही किया जावेगा। 5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.सी.) की 383 वीं बैक दिनांक 29.01.2025 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है। 6. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉमर्सियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-10/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.सी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा। 7. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत नर्सरी औद्योगिक एवं मास्टर विकास योजना 2025 के यू-1 अवस्थीय एवं आंशिक भाग का भू-उपयोग Other Recreational दर्शित है। 8. योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किया जाने हेतु तैयार किया गया है। 9. बी.पी.सी. (एल.पी.सी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर परमिटींग (जयपुर रीजन गवन) विनियम 2020 के अनुसार रखी गया है।
-----	--

E=578550.1686
N=2967589.6342

3539

E= 578582.0812
N= 2967521.1768

$$\begin{aligned} E &= 578615.9233 \\ N &= 2967514.3276 \end{aligned}$$

GROUP HOUSING -2

PART SOLD TO VEDANTA PROPERTIES PVT. LTD.

123

SUB DIVIDED EKAL PATTA BOUNDARY

SUB DIVIDED EKAL PATTI BOUNDARY

E=578531.0464
N=2967288.7082

E=578599.9715
N=2967286.4489

ROAD 18.00 MTR. WIDE

3567

योजना क्षेत्र का मानचित्र:- GROUP HOUSING -1			
योजना क्षेत्र का पहुँच मार्ग मानचित्र:-			
योजना क्षेत्र का दिशा सूचक:-			
<p>योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना २०२४ के अनुसार भू उपयोग प्रस्तावित आवासीय योजना के भूखण्डों की गणना :- आवासीय भूखण्ड:- 01 TO 12, 14 TO 16A, 18 TO 44, 47 TO 58 सुरेरा व्यवसायिक भूखण्ड:- 01</p>			
योजना क्षेत्र का भु -उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-			
क्रं.सं.	भु -उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.मे)	प्रतिशत
1.	आवासीय भूखण्ड	11356.04	59.81%
2.	सुरेरा व्यवसायिक।व्यवसायिक	380.82	02.01%
(A) कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)		11736.86	61.82%
3.	पार्क	949.44	05.00%
4.	मोबाईल टावर	20.00	00.10%
4.	ठोस कचरा प्रबंधन	50.00	00.26%
5.	सडक	6231.32	32.82%
(B) कुल क्षेत्रफल (3 TO 5)		7250.76	38.18%
योजना क्षेत्रफल (A+B)		18987.62	100.00%
(A) प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का क्षेत्रफल		18987.62 व.मी. (1.8987 हेक्टेयर)	
योजना का नाम :- प्रस्तावित आवासीय शहरी योजना मानचित्र राजस्थान राज्यपाल पुलिसी २०१० के अंतर्गत "ORCHARD STREET" AT VILLAGE :- KHOKHAWAS, TEH.-: SANGANEER, JAIPUR.			
योजना विकास कर्ता :- For RADIANT HOTELS PVT. LTD. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Auth. Signatory </div> <div style="text-align: center;"> Auth. Stamp </div> </div>			
जौन संख्या = 04			
पैमाना = 1 : 500			
योजनाकार :- कैब्रीक्स कॉन्स्ट्रक्सेस प्राइवेट लिमिटेड <small>अनुमंडित, सहरती ओजवन, अरुंधतीपुरी व मुंबैनगर रोड २०२, डिंग टौर, रावधनपुरी गुड्स सुकुलन वी रोड लखनऊ-६०, डीए नगर, डीए नगर, रावधनपुरी विवरण :- ३०२०१५, हरियाणा - ०१४१-४११३११ मोबाइल नंबर :- ९६०२३६००००, ९६०२३६०१११ ईमेल :- contact@radiantmax.co.in, ९६०२३७९९ - www.radiantmax.co.in</small>			
जयपुर विकास प्राधिकरण			